कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 358 / सोनभद्र / 33 ,दिनांक, रावर्ट्सगंज, अगस्त 13, ,2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

विषय– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग किमी0 0.000 से 46.045 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 18.5193हे0 वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के बदले उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि के उपयोग हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– **आपके कार्यालय का पत्रांक– 1032 / यू0पी0–67148–पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2021 दिनांक 12.07.2021।**

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के अन्तर्गत भदई अरार से मकरीबारी मार्ग किमी0 0.000 से 46.045 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 18.5193हे0 वनभूमि जिसमें से किमी0 संख्या– 0.000 से 40.150 तक 18.09हे0 इस वन प्रभाग से सम्बन्धित है, के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार की वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर प्रस्ताव की 5 प्रतियां इस कार्यालय को उपलबध करायी गयी है। जिसका परीक्षण करने पर निम्नलिखित कमियां पायी गयी है :–

1. प्रभावित वन भूमि के 1:50000 स्केल की टोपोशीट संलग्न है किन्तु उसका शीर्षक (चैनेज संख्या) गलत अंकित है।
2. जियो रेफरेन्स मानचित्र में लिजेण्ड के अनुसार मार्ग की लम्बाई नहीं दर्शायी गयी है।
3. वृक्षों की प्रगणना रिपोर्ट में बाधित वृक्षों की व्यासवार श्रेणी अंकित नहीं है तथा बाधित वृक्षों की संलग्न प्रगणना रिपोर्ट में हस्ताक्षर नहीं है।
4. एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है, किन्तु जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है तथा भारत सरकार की निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
5. भार मुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु अधिशाषी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
6. लागत–लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
7. संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में अधोहस्ताक्षरी का पदनाम गलत अंकित है।
8. वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी गजट की छायाप्रति संलग्न नहीं है।
9. वन स्वरूप क्षेत्रों सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
10. सी0डी0 संलग्न नहीं है।
11. Proposal's Profile and Background Different Aspects संलग्न नहीं है।
12. वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
13. आप द्वारा इन्डेक्स संलग्न किया गया है किन्तु इन्डेक्स के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं संलग्न किया गया।

अतः विषयक प्रस्ताव मूल में इस आशय से वापस किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कमियों का शीघ्र निराकरण करते हुए प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में त्वरित अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।